अफीम नीति के पैरा 2(छ) के तहत अफीम कृषकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

समस्त संबंधित अफीम कृषकों को यह सूचित किया जाता है कि फसल वर्ष 2018–19 में अफीम कास्त हेतु भारत सरकार द्वारा जारी अफीम नीति के पैरा 2(छ) के प्रावधान के अनुसार फसल वर्ष 1999–2000 से 2017–2018 तक घटिया अफीम होने के कारण लाइसेंस से वंचित किये गए अफीम कृषक वर्तमान फसल वर्ष 2018–19 में अफीम लाईसेंस प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे यदि उन्होंने अगले वर्ष हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता उपज के बराबर या उससे अधिक का औसत दिया हो तथा उनके अफीम में मार्फीन की मात्रा कम से कम 9% रही हो। घटिया अफीम देने वाले ऐसे कृषकों की सूची (जो कि न्यूनतम अर्हता उपज को पूरा करते हों), को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के शासकीय बेवसाइट www.cbn.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। इच्छुक कृषक उक्त सूची का अवलोकन कर अपनी पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

यदि कोई कृषक यह समझता है कि जारी अफीम नीति के पैरा 2(छ) अनुसार वह पात्र है परन्तु उसका नाम बेवसाइट पर अपलोड किये गये है सूची में सम्मिलित नही है अथवा उसका नाम तो अपलोड किये गए सूची में सम्मिलित है परंतु उसमें दर्शाए गए आंकड़े त्रुटिपूर्ण है तो वह कृषक इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी जानकारी भरकर संबंधित जिला अधिकारी के पास ***दिनांक 12.11.2018 से 17.11.2018 के सायंकाल तक*** अपना आवेदन प्रेषित कर सकता है। वह चाहे तो अपना आवेदन संबंधित जिला अफीम अधिकारी के पास डाक द्वारा या नीचे दिये गये संबन्धित डिवीजन के ई–मेल पते पर भेज सकता है। निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप इस सूचना–पत्र के साथ संलग्न है। अगर कोई कृषक, उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार पात्र पाया जाता है तो उसे फसल वर्ष 2018–19 के लिए अफीम कास्त का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। संबंधित कृषक/वारिस फसल वर्ष 2018–19 की अफीम नीति का विस्तृत विवरण भी केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की शासकीय वेवसाइट www.cbn.nic.in पर देख सकते है। सभी सम्बधित लाभांवित होवें।

ध्यान रहें कि दिनांक 17.11.2018 के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा अगर कोई कृषक निर्धारित प्रारुप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारुप में आवेदन देता है या उसके द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में वांछित सूचना पूर्ण नही है तो उसके भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

क.सं.	कार्यालय का नाम	ई–मेल आई डी
	राजस्थान इकाई	
1.	जिला अफीम अधिकारी, कोटा	doo-kota@cbn.nic.in
2.	जिला अफीम अधिकारी, भीलवाडा	doo-bhilwara@cbn.nic.in
3.	जिला अफीम अधिकारी, चित्तौडगढ प्रथम खण्ड	doo-chittorgarh1@cbn.nic.in
4.	जिला अफीम अधिकारी, चित्तौडगढ द्वितीय खण्ड	doo-chittorgarh2@cbn.nic.in
5.	जिला अफीम अधिकारी, चित्तौडगढ तृतीय खण्ड	doo-chittorgarh3@cbn.nic.in
6.	जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ प्रथम खण्ड	doo-pratapgarh@cbn.nic.in
7.	जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ द्वितीय खण्ड	doo-pratapgarh2@cbn.nic.in
8.	जिला अफीम अधिकारी, झालावाड	doo-jhalawar@cbn.nic.in
	मध्यप्रदेश इकाई	
9.	जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम खण्ड	doo-neemuch1@cbn.nic.in
10.	जिला अफीम अधिकारी, नीमच द्वितीय खण्ड	doo-neemuch2@cbn.nic.in
11.	जिला अफीम अधिकारी, नीमच तृतीय खण्ड	doo-neemuch2@cbn.nic.in
12.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर प्रथम खण्ड	doo-mandsaur1@cbn.nic.in
13.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर द्वितीय खण्ड	doo-mandsaur2@cbn.nic.in
14.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर तृतीय खण्ड	doo-mandsaur3@cbn.nic.in
15.	जिला अफीम अधिकारी, जावरा प्रथम खण्ड	doo-jaora1@cbn.nic.in
16.	जिला अफीम अधिकारी, जावरा द्वितीय खण्ड	doo-jaora2@cbn.nic.in
17.	जिला अफीम अधिकारी, गरोठ	doo-garoth@cbn.nic.in
	उत्तर प्रदेश इकाई	
18.	जिला अफीम अधिकारी, बाराबंकी	doo-barabanki@cbn.nic.in

उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा/ नीमच/ लखनऊ

अफीम नीति के पैरा 2(छ) के तहत पात्रता के संबंध में आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक नाम/पिता का नाम
2. ग्राम, तहसील एवं जिला
3. उक्त आवेदन स्वयं के पूर्ववर्ती अफीम काश्त लाइसेंस हेतु है या पूर्ववर्ती अफीम काश्तधारी की मृत्यु होने के कारण वारिस के तौर पर है।

A. **अगर आवेदन पत्र स्वयं पूर्व के वर्षों में डी–लाइसेंस अफीम कृषक द्वारा प्रस्तुत है तो–**

(i) विभागीय रिकार्ड के अनुसार कृषक का नाम (इस संबंध में वह विभाग द्वारा प्रकाशित अफीम काश्त के डाटा जो कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की शासकीय वेवसाइट www.cbn.nic.in से मदद ले सकते है)

(ii) यूनिक कोड संख्या (अंतिम अफीम खेती करने वाले वर्ष का)

(iii) डी–लाइसेंस होने का फसल वर्ष।

(iv) अंतिम अफीम खेती करने का वर्ष।

B. **अगर आवेदन पत्र पूर्व के वर्षों में डी–लाइसेंस मृतक अफीम कृषक के वारिस द्वारा प्रस्तुत है तो–**

(i) मृतक अफीम कृषक का नाम

(ii) मृतक अफीम कृषक का यूनिक कोड संख्या (अंतिम अफीम खेती करने वाले वर्ष का)

(iii) मृतक अफीम कृषक के डी–लाइसेंस होने का फसल वर्ष।

(iv) मृतक अफीम कृषक द्वारा अंतिम अफीम खेती करने का वर्ष।

(v) अफीम कृषक की मृत्यु दिनांक

(vi) समस्त वारिसों के नाम एवं मृतक कृषक से संबंध।

(vii) आवेदन प्रस्तुत करने वाले वारिस का नाम एवं पूरा पता।

नोटः– प्रत्येक अफीम कृषक, जो कि फसल वर्ष 2018–19 की अफीम नीति के पैरा 2G के तहत पात्र होगा, उसे किसी भी एन.डी.पी.एस. प्रकरण में आरोपित नहीं किये जाने बावत घोषणा संलग्न घोषणा पत्र के प्रारूप (Annexure- A) में संबंधित जिला अफीम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. **यदि अफीम नीति के पैरा 2G के अन्तर्गत पात्रता का दावा किया गया है तो–**

a) पात्रता का दावा करने वाले अफीम कृषक अपने अंतिम अफीम काश्त वर्ष में उत्पादित अफीम एवं डी–लाइसेंस होने के वर्ष का विवरण निम्न सारणी में देवें।

संबंधित डिवीज़न का नाम	अफीम कृषक का पूरा नाम	गांव	तहसील	अंतिम बार डी–लाइसेंस होने का फसल वर्ष	डी–लाइसेंस होने से पूर्व के फसल वर्ष में कृषक द्वारा उत्पादित अफीम का औसत (70° गाढ़ता पर)	अफीम फैक्ट्री द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट, के अनुसार अंतिम अफीम कास्त वर्ष में कृषक की अफीम में मार्फीन का प्रतिशत (शुष्क आधार पर)	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8

b) दावाकर्ता कृषक अंतिम अफीम कास्त वर्ष में उत्पादित अफीम की जांच बावत अफीम फैक्ट्री द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट, की प्रति को स्कैन कर अपलोड करें।